

भारत सरकार
कार्यालय
आयकर आयुक्त
 10, गूगल टावर, उदयपुर
 GOVERNMENT OF INDIA
 Office of The
 Commissioner of Income Tax
 Udaipur

विषय :— आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के अधीन
न्यास/संस्था का पंजीकरण —

वागड़ मजदूर किसान संस्थान, बी.एड. कॉलेज के पास, डुंगरपुर

प्रार्थी जो न्यास विलेख/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन दिनांक 16.12.2002 के अधीन गठित है, ने निर्धारित प्रारूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा - 12एए के अधीन पंजीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2005 को प्रस्तुत किया है।

मह प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि में है।

यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समय के विलम्ब से होने पर मयाद बाहर था।
न्यास/संस्था द्वारा प्रार्थना पत्र के देशी माफी का आवेदन किया गया है।

अतः प्रार्थी संस्था का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा -12एए के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण दिनांक 16.12.2002 से प्रभावी होगा।

प्रार्थना पत्र को धारा -12एए के अन्तर्गत इस कार्यालय के प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर संख्या 48/50 पर दर्ज कर लिया गया है।



४८
(एम० एस० मीना)
आयकर आयुक्त
उदयपुर

क्रमांक: आ.आ./उदय/न्यायिक/12एए/2007-08/५८-

दिनांक: 19.06.2007

1. वागड़ मजदूर किसान संस्थान, बी.एड. कॉलेज के पास, डुंगरपुर
2. आयकर अधिकारी, वार्ड-1(2), उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि इस मामले में वह प्रार्थी के दावे को आयकर अधिनियम की धारा - 11 और 80 जी के तहत मान्यता/अमान्यता के सम्बन्ध में अलग से जांच करें, क्योंकि धारा -12एए के अधीन पंजीकरण देने से ही कोई मामला आपने - आप धारा -11 और 80 जी के तहत छूट का हकदार (मान्य) नहीं हो जाता है।
3. अपर आयकर आयुक्त, रेज-1, उदयपुर।

वागड़ मजदूर किसान संस्था

[Signature]
(कुन्जुमोन अब्राहम)
आयकर अधिकारी (तक)
कृते आयकर आयुक्त, उदयपुर